



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 360]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 11, 2017/वैशाख 21, 1939

No. 360]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 11, 2017/VAISAKHA 21, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2017

सा.का.नि. 454(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के साथ पठित धारा 73 और धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (जमा की स्वीकृति) संशोधन नियम, 2017 है।
(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 (जिसे यहां इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में,—
 - (क) नियम 2 के उप-नियम (1) में खंड (ग) के उप-खंड (xviii) में “घरेलू जोखिम पूंजी कोष” शब्दों के पश्चात् “, अवसंरचना निवेश न्यास” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
 - (ख) नियम 5 के उप-नियम (1) में परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—
“परंतु कंपनियां तारीख 31 मार्च, 2018 तक या जमा बीमा उत्पाद की उपलब्धता तक, इनमें से जो पूर्वतर हो, जमा बीमा संविदा के बिना जमा राशि स्वीकार कर सकती हैं।”।

[फा. सं. 1/8/2013-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 256(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् नीचे दिए विवरण के अनुसार संशोधित किए गए थे:—

| क्र.सं. | अधिसूचना संख्या | तारीख |
|---------|------------------|-----------------|
| 1. | सा.का.नि. 386(अ) | 06 जून, 2014 |
| 2. | सा.का.नि. 241(अ) | 31 मार्च, 2015 |
| 3. | सा.का.नि. 695(अ) | 15 सितंबर, 2015 |
| 4. | सा.का.नि. 639(अ) | 29 जून, 2016 |

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 2017

G.S.R. 454(E).—In exercise of the powers conferred by sections 73 and 76 read with sub-section (1) and sub-section (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Acceptance of Deposits) Amendment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the principal rules),—

(a) in rule 2, in sub-rule (1), in clause (c), in sub-clause (xviii), after the words “Domestic Venture Capital Funds” the words “, Infrastructure Investment Trusts” shall be inserted.

(b) in rule 5, in sub-rule (1), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that the companies may accept deposits without deposit insurance contract till the 31st March, 2018 or till the availability of deposit insurance product, whichever is earlier.”.

[F. No 1/8/2013-CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 256(E), dated the 31st March, 2014 and were subsequently amended as detailed below:—

| Sl. No. | Notification Number | Date |
|---------|---------------------|----------------------|
| 1. | G.S.R. 386(E) | 6th June, 2014 |
| 2. | G.S.R. 241(E) | 31st March, 2015 |
| 3. | G.S.R. 695(E) | 15th September, 2015 |
| 4. | G.S.R. 639(E) | 29th June, 2016 |